(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government propose to take any measures to boost growth of pulses and peas in the country to minimise the import; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) The following steps are being taken to boost the production of pulses and achieve self-sufficiency in pulses and peas;

(i) The National Pulses Development Programme schemss for improved Seeds^ demonstrations, plant protection measures, farm implements, dal processors, bio-fertrlisers and training programmes covering 26 States and Union Territories;

(ii) Plant Protection umbrella for gram and arhar against pod borer, cutworm and termite in 11 States;

(ii) Scheme for expansion of area under summer moong/urad in 11 States;

(iv) A composite approach to pulses development covering crop production technology, farmers' services/inputs, post-harvest technology and price-support/market intervention. This has been taken up by the Technology Mission on Oilseeds and Pulses.

दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना

1838. **श्री रजनी रंजन साहू :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की मेट्रो रेल परियोजना तैयार करने में विलंब के क्या कारण हैं ; और

(ख) इस परियोजना का कार्यान्वयन कब तक शुरु होगा और इस कार्य को कब तक पूरा कर लिया जायेगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली की मेट्रो रेल परियोजना मैसर्स रेल इंडिया टैक्नीकल एंड इकनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड (राइटस) द्वारा दिल्ली के लिये अपने तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन में अनुशंसित जन-द्रुतगामी परिवहन प्रणाली (एम आर टी एस) का केवल एक भाग है । भारत सरकार ने परियोजना के लिए संसाधनों का पता लगाने सहित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिये एक निदेशों की उच्च शक्ति प्राप्त समिति पहले से ही गठित की है । इस परिणाम की परियोजना के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, स्थान सर्वेक्षण करना तथा निवेश के लिये निधियों के संभव स्रोतों की शिनाख्त करना भी अपेक्षित होता है । अतः कार्यान्वयन तथा इसके पूर्ण होने की तारीख के बारे में निर्णय लेना असामियक है ।

बाल मजदूरों के शोषण के मामले

1839. **श्री रजनी रंजन साहू :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय श्रम न्यायालयों में बाल मजदूरों के शोषण के कितने मामले विचाराधीन हैं ; और

(ख) बाल मजदूरों के कल्याण के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) बाल श्रम संबंधी कानूनों का सख्ती से प्रवर्तन के अतिरिक्त जो अन्य